रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० ए०-10 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 24 अक्तूबर, 1987/2 कार्तिक, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 28 अप्रैल, 1987

संख्या डी० एल० आर० 3/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि कैपिटल आफ हिमाचल प्रदेश (डिवलपमैंट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1968 (1969 का 22)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का

881-राजपत्र/87-20-10-87—1,233. मूल्य : 20 पैसे ।

राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1968

(1969 का 22)

(20 जून, 1969)

(1-3-87 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश के राजधानी नगर के विकास और नगरपालिका के कार्यकलाप के विनियमन से सम्बन्धित विधि को पुनः अधिनियमित और उपांतरित करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1968 है।

(2) इसका विस्तार इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व शिमला नगरपालिका में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र पर, और ऐसे अन्य क्षेत्रों पर है, जो राज्य सरकार द्वारा धारा 25 के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निगम की सीमाओं में सम्मिलित किए जाएं।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन प्रशासक के कृत्यों के पालन के लिए इस रूप में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "निगम" से इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित शिमला नगर निगम अभिप्रेत है ;

(ग) "उपायुक्त" से शिमला जिला का उपायुक्त अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के कृत्यों के पालन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति इसके अन्तर्गत है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट को शक्तियों का प्रयोग तीन वर्ष तक न किया हो ;

(घ) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "नगरपालिका अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 अभिप्रेत है ;

(च) "नगरपालिका समिति" से शिमला नगरपालिका की नगरपालिका समिति अभिप्रेत है ;

(छ) "नगरपालिका" या "शिमला की नगरपालिका" या "शिमला नगरपालिका" से नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथागठित शिमला नगरपालिका अभिप्रेत है ;

(ज) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "अनुसूचित जाति" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) में नियत किया गया है;

(ठ) "टाऊन इम्परूवमेन्ट ऐक्ट" से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त पंजाब टाऊन इम्परूवमेंट एक्ट, 1922 अभिप्रेत है। 1966 का 31 1922 का 4

अध्याय-2

शिमला नगरपालिका का नगरपालिका अधिनियम से प्रत्याहरण और इसके प्रभाव

शिमला नगरपालिका का नगरपालिका अधिनियम से प्रत्याहरण।

3. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की ओर से, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व शिमला नगरपालिका में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र की नगरपालिका अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याभूत किया गया समझा जाएगा :

परन्तु टाऊन इम्परूवमेंट ऐक्ट की धारा 3 के अधीन गठित शिमला सुधार न्यास, शिमला नगर में टाउन इम्परूवमेंट ऐक्ट या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन, करता रहेगा, मानों कि शिमला नगरपालिका को नगरपालिका अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत नहीं किया गया है और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन गठित निगम को उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगरपालिका समिति समझा जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्याहरण नगरपालिका अधिनियम द्वारा उत्सादित किसी भी पद, प्राधिकारी या बात को पुनरूज्जीवित नहीं करेगा या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व उसके अधीन की गई या होने दी गई किसी बात या प्रोद्भूत किसी अधिकार, उपाधि बाध्यता या दायित्व की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाए किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के किसी अधिकार या अन्य निजी अधिकार से वंचित नहीं करेगी।

दायित्वों का अन्तरण।

4. (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व, नगरपालिका समिति द्वारा उपगत सभी ऋण और बाध्यताएं, और की गई सभी संविदाएं और इस द्वारा किये जाने के लिए वचनबद्ध विषय और बातें, इस अधिनियम के अधीन यथा गठित निगम द्वारा या के लिए उपगत की गई, या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जायेगी।

(2) नगरपालिका अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिरोपित, मंजूर की गई या दी गई, प्रत्येक नियुक्ति, नियम, उप-नियम, प्ररूप अधिसूचना, नोटिस, कर, फीस, स्कीम, आदेश, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा जहां तक यह शिमला की नगरपालिका से सम्बन्धित है और जहां तक यह इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त है; और इस अधिनियम से असंगत नहीं है, इस अधिनियम क उपबन्धों क अधीन की गई, निकाली गई, अधिरोपित मंजूर को गई या, दी गई समझी जायगी और जब तक, इस अधिनियम के अधीन, यथा-स्थिति, तत्पूर्व परिवर्तित, उपांतरित, रद्द, निलम्बित, अभ्यर्पित या प्रत्याहृत, नहीं की गई

है, ऐसी अवधि के लिए, यदि कोई हो, प्रवर्तनशील रहेगी जिसके लिए इसे इस प्रकार बनाया, निकाली गई, अधिरोपित, मंजूर की गई या दिया गया था।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, नगरपालिका समिति को देय सभी दरें, कर और धन राशियों, इस अधिनियम के अधीन यथा गठित निगम को देय समझी जायेगी।

(4) नगरपालिका समिति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित सभी सिविल या दाण्डिक वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां अथवा जो इस अधिनियम के पारित न किए जाने के कारण संस्थित की गई है, इस अधिनियम के अधीन गठित निगम द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी।

अध्याय-III

निगम का गठन और उससे सम्बन्धित अन्य विषय

निगम का गठन।

5. (1) उस क्षेत्र सहित, जो धारा 25 के अधीन समय-समय पर निगम की सीमाओं में सम्मिलित किया जाए, वह क्षेत्र जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है; इस अधिनियम के अधीन नगर निगम होगा जिसे "शिमला नगर निगम" कहा जाएगा।

(2) निगम एक प्रशासक और दस सदस्यों से गठित होगा :

परन्तु धारा 25 के अधीन किसी क्षेत्र को निगम की सीमाओं में सम्मिलित करने पर, राज्य सरकार ऐसे अतिरिक्त सदस्य नियुक्त कर सकेंगी जो यह उचित समझे।

सदस्यों की नियुक्ति।

6. निगम का प्रशासक और सभी सदस्य, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति से नियुक्त किये जाएंगे जो विहित की जाए:

परन्तु इस प्रकार नियुक्त किए सदस्यों में से, कम से कम एक सदस्य महिला और एक सदस्य अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित होगा।

सदस्यों की पदावधि।

7. (1) जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, पदेन सदस्यों की अवधि, उस पद की अवधि के साथ समाप्त होगी जिसके फलस्वरूप उन्हें नियुक्त किया जाता है या पांच वर्ष, इन दोनों में से जो भी कम हो।

(2) अन्य सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी।

(3) धारा 5 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति की पदावधि उस उप-धारा के अधीन नियुक्त सदस्यों की पदावधि के साथ समाप्त होगी।

प्रशासक और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं।

8. उस व्यक्ति से जिसे पद के आधार पर नियुक्त किया जाता है, भिन्न प्रशासक या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति, निगम की सीमाओं में ऐसी अवधि के लिए निवास करने वाला व्यक्ति होगा जो विहित की जाए और नियुक्ति के दिन जिसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

सदस्यों आदि की निर्हताएं।

9. कोई भी व्यक्ति प्रशासक या सदस्य की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; या

(ख) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ग) किसी न्यायालय द्वारा, नैतिक अधमता से अन्तर्वलित और छः मास के कारावास से अनधिक अवधि के लिए दण्डनीय अपराध के लिए, दण्डादिष्ट किया गया है, जब तक कि उसकी नियुक्ति से, पांच वर्ष की अवधि, या ऐसी अवधि जो राज्य सरकार किसी विशेष मामले में अनुज्ञात करे, व्यपगत न हो गई हो ; या

(घ) राज्य सरकार की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत किया गया है; या

(ङ) किसी नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, लघु नगर समिति, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद् या ग्राम पंचायत की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत किया गया है ; या

(च) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निगम के साथ के द्वारा या की ओर से किसी संविदा में कोई अंश या हित रखता है ; या

(छ) अनुन्मोचित दिवालिया है, या

(ज) दिवालिया न्यायनिर्णीत या पुनः न्यायनिर्णीत किया जाने पर प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 73 द्वारा अधिरोपित किसी निर्हता के अधीन है, या 1920 का 5

(झ) उस द्वारा निगम को देय सभी कर, ठीक उस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिसमें नियुक्ति धारित या की जाती है, संदत्त नहीं किए गए हैं, या

(ञ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य होने का अपात्र है :

परन्तु खण्ड (घ), (ङ) या ( ) के अधीन निर्हता, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी आदेश द्वारा हटाई जा सकेगी।

स्पष्टीकरण.—कोई व्यक्ति, किसी निगमित या रजिस्ट्रीकृत कम्पनी का शेयरधारक या सदस्य होने के कारण, कम्पनी और निगम के बीच हुई संविदा में हितबद्ध नहीं समझा जायेगा।

सदस्यों आदि का त्यागपत्र।

10. यदि निगम का प्रशासक या सदस्य अपने पद का त्याग करना चाहता है, तो वह उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है, तो यह शासकीय राजपत्र में ऐसी तारीख को अधिसूचित किया जायेगा जो उपायुक्त द्वारा उक्त सदस्य के आवेदन-पत्र की प्राप्ति के पश्चात अन्यून पंद्रह दिन की नहीं होगी और यह समझा जायगा कि सदस्य ने अपना स्थान रिक्त कर दिया है।

सदस्योंआदि को हटाने की सरकार की शक्तियां।

11. राज्य सरकार, किसी भी समय, अधिसूचना द्वारा, निगम के प्रशासक या किसी सदस्य को हटा सकेगी,—

(क) यदि वह कार्य करने से इन्कार करता है, या राज्य सरकार की राय में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या शोधन अक्षम या दिवालिया घोषित किया गया है, या दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश के अधीन रखा गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में चरित्र दोष निहित है जो उसे, यथास्थिति, प्रशासक या सदस्य बनने के अयोग्य बनाता हो;

(ख) यदि, अधिसूचना द्वारा उसे लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित किया गया है या उसे पदच्युत किया गया है और निर्हता या पदच्युति का कारण ऐसा है जिसमें, राज्य सरकार की राय में चरित्र-दोष अंतर्हित है जो उसे, यथास्थित प्रशासक या सदस्य बनने के अयोग्य ठहराता है ;

(ग) यदि वह, राज्य सरकार की राय में युक्तियुक्त हेतुक के बिना, निगम की अधिवेशनों से निरन्तर तीन मास से अधिक के लिए गैर-हाजिर रहा है ;

(घ) यदि राज्य सरकार की राय में, उसका पद पर बने रहना, लोक-शांति या व्यवस्था के लिए खतरनाक है ;

(ङ) यदि राज्य सरकार की राय में उसने यथास्थिति, निगम के प्रशासक या सदस्य के रूप में अपने पद का सुस्पष्ट रूप से दुरूपयोग किया है या वह उपेक्षा या अवचार के कारण, निगम के किसी धन या सम्पत्ति की क्षति या दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी है ;

(च) यदि, विधि व्यवसायी होते हुए, वह किसी व्यक्ति की ओर से किसी विधिक कार्यवाही में निगम के विरूद्ध या सरकार की ओर से या उसके विरूद्ध कार्य करता है या उपसंजात होता है जहां राज्य सरकार की राय में, ऐसा कार्य या ऐसी उपसंजाति निगम के हितों के प्रतिकूल है :

परन्तु राज्य सरकार, प्रशासक या सदस्य के हटाए जाने को इस धारा के अधीन अधिसूचित करने से पूर्व, उसे वे कारण संसूचित करेगी जिन पर हटाया जाना प्रस्तावित है और उसे लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा ।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।

12. जब कभी मृत्यु, त्याग-पत्र या हटाए जाने के कारण या अन्यथा प्रशासक या किसी सदस्य की रिक्ति हो जाती है, तो, यथास्थिति, नया प्रशासक या सदस्य धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु यदि पदावरोही सदस्य को आरक्षित रिक्तियों में से किसी पर नियुक्त किया गया था, तो आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया जाने वाला सदस्य, उस आरक्षित स्थान को भरने के लिए अर्हित व्यक्ति होना चाहिए :

परन्तु यह और कि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, उस समय के लिए और उन शर्तों के अधीन अपना पद धारण करेगा जिन पर यह उस व्यक्ति को मान्य था जिस के स्थान पर उसे इस प्रकार नियुक्त किया गया है, न कि अधिकतर समय के लिए, किन्तु यदि वह अन्यथा अर्हित हो, तो उसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा ।

उत्तरवर्ती निर्हताओं का प्रभाव।

13. यदि कोई व्यक्ति प्रशासक या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के, बाद धारा 9 में विनिर्दिष्ट किसी निर्हता के अधीन हो जाता है, और ऐसी निर्हता हटाई नहीं जा सकती या यदि हटाई जा भी सकती तो उसे हटाया नहीं जाता, तो राज्य सरकार द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित किए जाने की अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के ठीक पश्चात्, ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, प्रशासक या सदस्य नहीं रहेगा।

प्रशासक और सदस्यों द्वारा घोषणा।

14. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे प्रशासक या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति के समक्ष जिसे राज्य सरकार इस निमित नियुक्त करे, निम्नलिखित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, और हस्ताक्षरित करेगा, अर्थात्,—

"मैं, अ0 आ0 शिमला नगर निगम के प्रशासक या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं, ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा-पूर्वक निर्वहन करूंगा।"

(2) कोई व्यक्ति, जो प्रशासक या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, उसकी पदावधि प्रारम्भ होने की तारीख से तीन मास के भीतर उप-धारा (1) में अधिकथित शपथ या प्रतिज्ञान लेने और हस्ताक्षर करने में असफल रहता है, पद पर नहीं रहेगा और उपर्युक्त तीन मास की समाप्ति पर उसका पद रिक्त माना जायेगा।

निगम का निगमन।

15. (1) निगम "शिमला नगर निगम" के नाम से निगमित निकाय होगा और उस नाम से वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

(2) निगम को, निगम की सीमा के भीतर और बाहर, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारण करने और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस द्वारा धारित किसी सम्पत्ति को हस्तांतरित करने, संविदा करने और इसके गठन के प्रयोजन के लिए सभी अन्य आवश्यक कार्य करने की शक्ति होगी।

अध्याय-IV

काम-काज का संचालन

अधिवेशन।

16. निगम का अधिवेशन काम-काज के संव्यवहार के लिए महीने में कम-से-कम एक बार, होगा ।

अधिवेशनों का संयोजित किया जाना।

17. (1) निगम का अधिवेशन साधारण अथवा विशेष होगा।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की तारीख प्रशासक द्वारा नियत की जायेगी।

(3) प्रत्येक अधिवेशन का नोटिस, उसके समय और स्थान और उसमें संव्यवहृत किए जाने वाले काम-काज को विनिर्दिष्ट करते हुए, साधारण अधिवेशन से पूरे सात दिन पूर्व और विशेष अधिवेशन से पूरे तीन दिन पूर्व प्रत्यक सदस्य को, भेजा जायेगा और निगम के कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा :

परन्तु यदि नोटिस निगम के कार्यालय में प्रदर्शित किया जाता है, तो किसी सदस्य पर इसकी तामील न हो पाने से अधिवेशन की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) अधिवेशन में उससे सम्बन्धित नोटिस में विनिर्दिष्ट से अन्यथा काम-काज का संव्यवहार नहीं किया जायेगा :

परन्तु, यदि नगरपालिका :

परन्तु, निगम नोटिस में उप-वर्णित से अन्यथा कोई काम-काज अधिवेशन में संव्यवहृत करने के लिए सक्षम होगा यदि उस अधिवेशन में उपस्थित सभी सदस्य उसे करने के लिए सहमत हों ।

18. प्रशासक, जब भी वह उचित समझे, विशेष अधिवेशन बुला सकेगा, और कम-से-कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर ऐसा करने के लिए आबद्ध होगा । प्रशासक की विशेष अधिवेशन बुलाने की शक्ति ।

19. निगम का कोई अधिवेशन, उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से किसी अन्य तारीख को स्थगित किया जा सकेगा, किन्तु आगामी अधिवेशन में, स्थगित बैठक में छोड़ गए काम से अन्यथा काम-काज संव्यवहृत नहीं किया जाएगा। स्थगन ।

ऐसे स्थगन के नोटिस का, उस दिन, जिसकी बैठक स्थगित की जाती है, निगम के कार्यालय में लगाया जाना, आगामी अधिवेशन के लिए प्रर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

20. (1) यदि प्रशासक उपस्थित हो, तो वह निगम के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और मत देने का हकदार होगा। अधिवेशन का अध्यक्ष ।

(2) यदि प्रशासक निगम की बैठक में अनुपस्थित हो, तो सदस्यगण अपने एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।

21. (1) निगम के किसी अधिवेशन में, कोई कार्य संव्यवहृत नहीं किया जाएगा जब तक:— गणपूर्ति ।

(i) साधारण अधिवेशन की दशा में कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या; और

(ii) विशेष अधिवेशन की दशा में, अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी सहित, कुल सदस्यों की आधी संख्या के सारे अधिवेशन में, गणपूर्ति न हो :

परन्तु गणपूर्ति से सम्बन्धित इस उप-धारा के उपबन्ध, स्थगित अधिवेशन को लागू नहीं होंगे ।

(2) यदि किसी समय किसी अधिवेशन में, गणपूर्ति के लिए पर्याप्त सदस्य न हों, तो अधिवेशन का अध्यक्ष इसे ऐसे समय और तारीख को, जो तृतीय दिन से पूर्व न हो, जो वह उचित समझे, स्थगित करेगा और इसकी तुरन्त घोषणा करेगा, और अधिवेशन के लिए रखा गया काम-काज पश्चात्वर्ती अधिवेशन में, सामान्य रूप से लाया जाएगा या यदि पश्चात्वर्ती अधिवेशन पुनः स्थगित किया जाना हो, तो किसी भी अधिवेशन में।

(3) मूल अधिवेशन के लिए नियम से अन्यथा कोई काम-काज, ऐसे पश्चात्वर्ती अधिवेशन में संव्यवहृत नहीं किया जाएगा।

(4) निगम के कार्यालय में, उस दिन जिसको अधिवेशन स्थगित किया जाता है, नोटिस का प्रदर्शित किया जाना, पश्चात्वर्ती अधिवेशन के लिए पर्याप्त नोटिस होगा।

मतदान इत्यादि के लिए सदस्यों की निर्योग्यता।

22. कोई भी सदस्य या प्रशासक, अधिवेशन के समक्ष किसी विषय पर मतदान नहीं करेगा या विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा या किसी विषय से सम्बन्धित कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जिसमें प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: स्वंय उस या उसके भागीदार द्वारा, निगम के साथ, के द्वारा या की ओर से किसी संविदा, अनुदान या नियोजन में अंश या हित हो या जिसमें वह मवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक रूप में हितबद्ध है।

बहुमत का विनिश्चायक होना।

23. इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, निगम द्वारा किए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित कृत्य और इस अधिनियम के अधीन किए गए अधिवेशन के समक्ष लाए गए सभी प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने के लिए हकदार व्यक्तियों के बहुमत से क्रमश: किए और विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर-बराबर रहने की दशा में अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

उप-विधियां बनाने की निगम की शक्ति।

24. निगम, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गये नियमों से संगत और राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए, अपने अधिवेशनों के काम-काज के संचालन के लिए उप-विधियां बना सकेगा।

अध्याय-V

कतिपय क्षेत्रों का निगम की सीमाओं में सम्मिलित किया जाना

राज्य सरकार की कतिपय क्षेत्रों को निगम की सीमाओं में सम्मिलित करने की शक्ति।

25. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी रीति से जो वह अवधारित करे :—

(क) शिमला के आसपास के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को निगम की सीमाओं में सम्मिलित कर सकेगी,

(ख) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को निगम की सीमाओं से अपवर्जित कर सकेगी।

सम्मिलित किए जाने का प्रभाव।

26. (1) जब धारा 25 के अधीन उपर्युक्त क्षेत्र निगम की सीमाओं में सम्मिलित किए जाए तो, :—

(क) यथास्थिति, नगरपालिका अधिनियम, 1968 या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968, यदि ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, वहां निरसित समझा जाएगा:

परन्तु एसे किसी अधिनियम का निरसन —

(i) उपर्युक्त अधिनियम द्वारा उत्सादित किसी पद, प्राधिकारी या बात को पुन्नरूजीवित, या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई या होने दी गई किसी बात की विधि-मान्यता, या तद्धीन प्रोद्भूत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, या

(ii) इसमें इसके पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी व्यक्ति को, सम्पत्ति के किसी अधिकार या अन्य निजी अधिकार से वंचित नहीं करेगा ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन निरसित किन्हीं अधिनियमों के अधीन, सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में निगमित निकाय को देय सभी दरें, कर, फीस और धन-राशियां निगम को देय समझी जाएंगी ;

(ग) उपर्युक्त क्षेत्र को सम्मिलित किएजाने से पूर्व, यथा उपर्युक्त निगमित निकाय द्वारा उपगत सभी ऋण और बाध्यताएं, और उसके साथ की गई सभी संविदाएं और उस द्वारा किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और कार्य, इस अधिनियम के अधीन यथा गठित निगम द्वारा उपगत, के साथ की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी ;

(घ) यथा उपर्युक्त नियमित निकाय द्वारा या के विरुद्ध संस्थित अथवा जो उक्त क्षेत्र के निगम की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने के कारण संस्थित किए गए हों, सिविल या दाण्डिक सभी वाद या विधिक कार्यवाहियां निगम द्वारा या के विरुद्ध जारी या संस्थित की जा सकेंगी ;

(ङ) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए और सिवाय उसके जो अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार अन्यथा निदेश दे, इस अधिनियम के अधीन बनाए, जारी या प्रदत्त और सम्मिलित किए जाने की तारीख को प्रवृत्त, सभी नियम, आदेश, निदेश और शक्तियां, यथास्थिति, नगरपालिका अधिनियम, 1968 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अधीन बनाए, जारी या प्रदत्त या बनाए, जारी या प्रदत्त समझें गए, तत्स्थानी सभी नियमों, उप-विधियां, विनियमों, आदेशों, निदेशों या शक्तियों के अधिक्रमण में उपर्युक्त क्षेत्र को लागू होंगे।

1968 का 19
1970 का 9

(2) राज्य सरकार, ऐसे आदेश जारी कर सकेगी जो उक्त क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या उससे आनुषंगिक या प्रसंगिक किसी मामले को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

अध्याय-VI

अनुपूरक उपबन्ध

प्रशासक, सदस्यों आदि का लोक सेवक होना।

27. निगम का प्रशासक और प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता,[5] 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

1860 का 45

नगरपालिक निधि।

28. नगरपालिका निधि के नाम से, नगरपालिका के लिए एक निधि का गठन किया जाएगा और उसके खाते में :—

(क) निगम द्वारा या उसकी ओर से, इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा प्राप्त सभी राशियां,

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नगरपालिका शिमला की नगरपालिका निधि के खाते में अतिशेष; और

(ग) धारा 26 के अधीन निरसित किए जाने वाले किन्हीं अधिनियमों के अधीन निगमित निकाय के, खाते में ऐसे निरसन से ठीक पूर्व, अतिशेष,

जमा कराया जाएगा।

सम्पत्ति को निहित किया जाना ।

29. (1) समस्त सम्पत्ति, उसकी प्रकृति और प्रकार जो सभी हो, चाहे जंगम स्थावर और चाहे नगरपालिका की सीमाओं में या बाहर स्थित हो सभी प्रकार के हितों सहित, प्रकृति या स्वरूपों, जो भी हो, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, शिमला नगरपालिका की नगरपालिका समिति में निहित और उसके नियन्त्रण के अधीन थी, इसके खाते में जमा नगरपालिका निधि के अतिशेष सहित, निगम में निहित और इसके नियंत्रण के अधीन होगी।

(2) धारा 26 के अधीन निरसित किन्हीं अधिनियमों के अधीन निगमित निकाय में ऐसे निरसन से ठीक पूर्व निहित और नियंत्रण के अधीन, समस्त सम्पत्ति, प्रकृति और प्रकार जो भी हो, और कहीं भी स्थित हो, इसके खाते में विधि के अतिशेष सहित, ऐसे निरसन पर निगम निहित और उसके नियंत्रण के अधीन हो जाएगी।

नगरपालिक के कर्मचारी आदि का निगम के कर्मचारी होना ।

30. प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नगरपालिका समिति या धारा 26 (1) (क) के अधीन निरसित किए जाने वाले अधिनियमों के अधीन निगमित निकाय का, ऐसे निरसन से ठीक पूर्व, कर्मचारी या सेवक है, निगम का कर्मचारी या सेवक हो जाएगा, और उसी पदावधि और उसी पारिश्रमिक और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेगा जिन पर वह करता रहता यदि यथास्थिति, ऐसा प्रारम्भ या निरसन नहीं किया गया होता और उस समय तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि निगम द्वारा ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबन्धन और शर्तों का सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु, --

(1) ऐसे कर्मचारी या सेवक की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधन और शर्तें सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी ;

(2) यथास्थिति, ऐसे प्रारम्भ या ऐसे निरसन से पूर्व ऐसे किसी कर्मचारी या सेवक द्वारा की गई कोई सेवा, निगम के सम्बन्ध में की गई सेवा समझी जाएंगी ;

(3) और निगम ऐसे किसी कर्मचारी या सेवक को ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए नियोजित कर सकेगा जो निगम उचित समझे और प्रत्येक कर्मचारी या सेवक उन कृत्यों का तदनुसार निर्वहन करेगा।

नगरपालिका अधिनियम के उपबंधों का निमम को लागू होना ।

31. धारा 3 के उपबन्धों के होते हुए भी, नगरपालिका अधिनियम के सभी उपबन्ध, उनके सिवाय जो ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन उपबन्ध किया गया है, यथावश्यक परिवर्तन सहित, और जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से अनसंगत है, निगम की सीमाओं में लागू और प्रवृत्त होंगे मानों कि यह प्रथम श्रेणी की नगरपालिका है और वे उपबन्ध इस अधिनियम का भाग समझे जा एंगे :

परन्तु उक्त अधिनियम में, जब तक कि विभिन्न आशय प्रतीत नहीं होता, --

(क) नगरपालिका या नगरपालिका समिति के प्रति सभी निर्देशों का, चाहे वह किसी भी रूप के हों, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे निगम के प्रति निर्देश है, और

(ख) प्रधान या उप-प्रधान के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे प्रशासक के प्रति निर्देश है।

(4) अधिवेशन में उससे सम्बन्धित नोटिस में विनिर्दिष्ट से अन्यथा काम-काज का संव्यवहार नहीं किया जायेगा :

परन्तु, यदि नगरपालिका :

परन्तु, निगम नोटिस में उप-वर्णित से अन्यथा कोई काम-काज अधिवेशन में संव्यवहृत करने के लिए सक्षम होगा यदि उस अधिवेशन में उपस्थित सभी सदस्य उसे करने के लिए सहमत हों ।

18. प्रशासक, जब भी वह उचित समझे, विशेष अधिवेशन बुला सकेगा, और कम-से-कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर ऐसा करने के लिए आबद्ध होगा । प्रशासक की विशेष अधिवेशन बुलाने की शक्ति ।

19. निगम का कोई अधिवेशन, उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से किसी अन्य तारीख को स्थगित किया जा सकेगा, किन्तु आगामी अधिवेशन में, स्थगित बैठक में छोड़ गए काम से अन्यथा काम-काज संव्यवहृत नहीं किया जाएगा। स्थगन ।

ऐसे स्थगन के नोटिस का, उस दिन, जिसकी बैठक स्थगित की जाती है, निगम के कार्यालय में लगाया जाना, आगामी अधिवेशन के लिए प्रर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

20. (1) यदि प्रशासक उपस्थित हो, तो वह निगम के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और मत देने का हकदार होगा। अधिवेशन का अध्यक्ष ।

(2) यदि प्रशासक निगम की बैठक में अनुपस्थि स्थगण अपने एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।

21. (1) निगम के किसी अधिवेशन में, कोई कार्य किया जाएगा जब तक:— गणपूर्ति ।

(i) साधारण अधिवेशन की दशा में कुल तिहाई संख्या; और

(ii) विशेष अधिवेशन की दशा में, अ ने प्राधिकारी सहित, कुल सदस्यों की आधी संख्या के सारे अधिवेशन में, गणपूर्ति न हो :

परन्तु गणपूर्ति से सम्बन्धित इस उप-धारा के उपबन्ध, स्थगित अधिवेशन को लागू नहीं होंगे ।

(2) यदि किसी समय किसी अधिवेशन में, गणपूर्ति के लिए पर्याप्त सदस्य न हों, तो अधिवेशन का अध्यक्ष इसे ऐसे समय और तारीख को, जो तृतीय दिन से पूर्व न हो, जो वह उचित समझे, स्थगित करेगा और इसकी तुरन्त घोषणा करेगा, और अधिवेशन के लिए रखा गया काम-काज पश्चात्वर्ती अधिवेशन में, सामान्य रूप से लाया जाएगा या यदि पश्चात्वर्ती अधिवेशन पुनः स्थगित किया जाना हो, तो किसी भी अधिवेशन में।

(3) मूल अधिवेशन के लिए नियम से अन्यथा कोई काम-काज, ऐसे पश्चात्वर्ती अधिवेशन में संव्यवहृत नहीं किया जाएगा।

(4) निगम के कार्यालय में, उस दिन जिसको अधिवेशन स्थगित किया जाता है, नोटिस का प्रदर्शित किया जाना, पश्चात्वर्ती अधिवेशन के लिए पर्याप्त नोटिस होगा।

मतदान इत्यादि के लिए सदस्यों की निर्योग्यता।

22. कोई भी सदस्य या प्रशासक, अधिवेशन के समक्ष किसी विषय पर मतदान नहीं करेगा या विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा या किसी विषय से सम्बन्धित कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जिसमें प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: स्वंय उस या उसके भागीदार द्वारा, निगम के साथ, के द्वारा या की ओर से किसी संविदा, अनुदान या नियोजन में अंश या हित हो या जिसमें वह मवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक रूप में हितबद्ध है।

बहुमत का विनिश्चायक होना।

23. इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, निगम द्वारा किए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित कृत्य और इस अधिनियम के अधीन किए गए अधिवेशन के समक्ष लाए गए सभी प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने के लिए हकदार व्यक्तियों के बहुमत से क्रमश: किए और विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर-बराबर रहने की दशा में अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

उप-विधियां बनाने की निगम की शक्ति।

24. निगम, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गये नियमों से संगत और राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए, अपने अधिवेशनों के काम-काज के संचालन के लिए उप-विधियां बना सकेगा।

अध्याय-V

कतिपय क्षेत्रों का निगम की सीमाओं में सम्मिलित किया जाना

राज्य सरकार की कतिपय क्षेत्रों को निगम की सीमाओं में सम्मिलित करने की शक्ति।

25. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी रीति से जो वह अवधारित करें :—

(क) शिमला के आसपास के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को निगम की सीमाओं में सम्मिलित कर सकेगी,

(ख) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को निगम की सीमाओं से अपवर्जित कर सकेगी।

सम्मिलित किए जाने का प्रभाव।

26. (1) जब धारा 25 के अधीन उपर्युक्त क्षेत्र निगम की सीमाओं में सम्मिलित किए जाए तो, :—

(क) यथास्थिति, नगरपालिका अधिनियम, 1968 या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968, यदि ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, वहां निरसित समझा जाएगा:

परन्तु एसे किसी अधिनियम का निरसन —

(i) उपर्युक्त अधिनियम द्वारा उत्सादित किसी पद, प्राधिकारी या बात को पुन्नरूजीवित, या इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई या होने दी गई किसी बात की विधि-मान्यता, या तद्धीन प्रोद्भूत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, या

(ii) इसमें इसके पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी व्यक्ति को, सम्पत्ति के किसी अधिकार या अन्य निजी अधिकार से वंचित नहीं करेगा ;

(ख) खण्ड (क) के अधीन निरसित किन्हीं अधिनियमों के अधीन, सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में निगमित निकाय को देय सभी दरें, कर, फीस और धन-राशियां निगम को देय समझी जाएंगी ;

(ग) उपर्युक्त क्षेत्र को सम्मिलित किएजाने से पूर्व, यथा उपर्युक्त निगमित निकाय द्वारा उपगत सभी ऋण और बाध्यताएं, और उसके साथ की गई सभी संविदाएं और उस द्वारा किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले और कार्य, इस अधिनियम के अधीन यथा गठित निगम द्वारा उपगत, के साथ की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी ;

(घ) यथा उपर्युक्त नियमित निकाय द्वारा या के विरूद्ध संस्थित अथवा जो उक्त क्षेत्र के निगम की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने के कारण संस्थित किए गए हों, सिविल या दाण्डिक सभी वाद या विधिक कार्यवाहियां निगम द्वारा या के विरूद्ध जारी या संस्थित की जा सकेगी ;

(ङ) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए और सिवाय उसके जो अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार अन्यथा निदेश दे, इस अधिनियम के अधीन बनाए, जारी या प्रदत्त और सम्मिलित किए जाने की तारीख को प्रवृत्त, सभी नियम, आदेश, निदेश और शक्तियां, यथास्थिति, नगरपालिका अधिनियम, 1968 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अधीन बनाए, जारी या प्रदत्त या बनाए, जारी या प्रदत्त समझें गए, तत्स्थानी सभी नियमों, उप-विधियां, विनियमों, आदेशों, निदेशों या शक्तियों के अधिक्रमण में उपर्युक्त क्षेत्र को लागू होंगे।

1968 का 19
1970 का 9

(2) राज्य सरकार, ऐसे आदेश जारी कर सकेगी जो उक्त क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या उससे आनुषंगिक या प्रसंगिक किसी मामले को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

अध्याय-VI

अनुपूरक उपबन्ध

प्रशासक, सदस्यों आदि का लोक सेवक होना।

27. निगम का प्रशासक और प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

1860 का 45

नगरपालिक निधि।

28. नगरपालिका निधि के नाम से, नगरपालिका के लिए एक निधि का गठन किया जाएगा और उसके खाते में :—

(क) निगम द्वारा या उसकी ओर से, इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा प्राप्त सभी राशियां,

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नगरपालिका शिमला की नगरपालिका निधि के खाते में अतिशेष; और

(ग) धारा 26 के अधीन निरसित किए जाने वाले किन्हीं अधिनियमों के अधीन निगमित निकाय के, खाते में ऐसे निरसन से ठीक पूर्व, अतिशेष,

जमा कराया जाएगा।

सम्पत्ति को निहित किया जाना ।

29. (1) समस्त सम्पत्ति, उसकी प्रकृति और प्रकार जो सभी हो, चाहे जंगम स्थावर और चाहे नगरपालिका की सीमाओं में या बाहर स्थित हो सभी प्रकार के हितों सहित, प्रकृति या स्वरूपों, जो भी हो, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, शिमला नगरपालिका की नगरपालिका समिति में निहित और उसके नियन्त्रण के अधीन थी, इसके खाते में जमा नगरपालिका निधि के अतिशेष सहित, निगम में निहित और इसके नियंत्रण के अधीन होगी।

(2) धारा 26 के अधीन निरसित किन्हीं अधिनियमों के अधीन निगमित निकाय में ऐसे निरसन से ठीक पूर्व निहित और नियंत्रण के अधीन, समस्त सम्पत्ति, प्रकृति और प्रकार जो भी हो, और कहीं भी स्थित हो, इसके खाते में विधि के अतिशेष सहित, ऐसे निरसन पर निगम निहित और उसके नियंत्रण के अधीन हो जाएगी।

नगरपालिक के कर्मचारी आदि का निगम के कर्मचारी होना ।

30. प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नगरपालिका समिति या धारा 26 (1) (क) के अधीन निरसित किए जाने वाले अधिनियमों के अधीन निगमित निकाय का, ऐसे निरसन से ठीक पूर्व, कर्मचारी या सेवक है, निगम का कर्मचारी या सेवक हो जाएगा, और उसी पदावधि और उसी पारिश्रमिक और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेगा जिन पर वह करता रहता यदि यथास्थिति, ऐसा प्रारम्भ या निरसन नहीं किया गया होता और उस समय तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि निगम द्वारा ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबन्धन और शर्तों का सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु, —

(1) ऐसे कर्मचारी या सेवक की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधन और शर्तें सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी ;

(2) यथास्थिति, ऐसे प्रारम्भ या ऐसे निरसन से पूर्व ऐसे किसी कर्मचारी या सेवक द्वारा की गई कोई सेवा, निगम के सम्बन्ध में की गई सेवा समझी जाएंगी ;

(3) और निगम ऐसे किसी कर्मचारी या सेवक को ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए नियोजित कर सकेगा जो निगम उचित समझे और प्रत्येक कर्मचारी या सेवक उन कृत्यों का तदनुसार निर्वहन करेगा।

नगरपालिका अधिनियम के उपबंधों का निमम को लागू होना ।

31. धारा 3 के उपबन्धों के होते हुए भी, नगरपालिका अधिनियम के सभी उपबन्ध, उनके सिवाय जो ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन उपबन्ध किया गया है, यथावश्यक परिवर्तन सहित, और जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, निगम की सीमाओं में लागू और प्रवृत्त होंगे मानों कि यह प्रथम श्रेणी की नगरपालिका है और वे उपबन्ध इस अधिनियम का भाग समझे जाएंगे :

परन्तु उक्त अधिनियम में, जब तक कि विभिन्न आशय प्रतीत नहीं होता, —

(क) नगरपालिका या नगरपालिका समिति के प्रति सभी निर्देशों का, चाहे वह किसी भी रूप के हों, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे निगम के प्रति निर्देश है, और

(ख) प्रधान या उप-प्रधान के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे प्रशासक के प्रति निर्देश है।

प्रशासक की पदावधि इत्यादि ।

32. प्रशासक की पदावधि, जो पूर्णकालिक कृत्याकारी होगा, पांच वर्ष होगी । वह ऐसा वेतन प्राप्त करेगा और ऐसी सुख-सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं :

परन्तु यदि प्रशासक सिविल सेवा का सदस्य हो या सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर धारणधिकार रखता हो तो वह राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा द्वारा अत्यावश्यकता की दशा में बुलाए जाने के दायित्वाधीन होगा जिसकी राज्य सरकार एकमात्र निर्णायक होगी।

नियम बनाने की शक्ति ।

33. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों और आशयों और विशेषतः उन विषयों के लिए जो विहित किए जा सकें यह किए जाने हों, को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए, नियम, बनाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

संक्रमण-कालीन उपबन्ध ।

34. जब तक निगम का गठन नहीं किया जाता, निगम की सभी शक्तियों और कर्त्तव्यों का, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयोग और पालन किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार उस निमित्त नियुक्त करें।

कठिनाईयों का निराकरण ।

35. यदि संक्रमणकाल, अर्थात्, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिन से तब तक जब तक कि निगम का सम्यक् रूप से गठन नहीं किया जाता ; की अवधि के सम्बन्ध में या इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में, कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो सरकार आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत कोई बात, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन लिए इस आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी।

राज्य सरकार की विवरणियों की अपेक्षा करने की शक्ति ।

66. राज्य सरकार प्रशासक से,—

(क) कोई विवरणी, विवरण, आकलन, आंकड़े या किसी नगरपालिका, प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन किसी मामले के सम्बन्ध में अन्य सूचना,

(ख) ऐसे किसी मामले पर कोई रिपोर्ट, या

(ग) उसके प्रभार या उसके नियंत्रण में किसी दस्तावेज और किसी अभिलेख की प्रति,

पेश करने की अपेक्षा कर सकेगी।

राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति

37. राज्य सरकार, जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझे, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से संगत, निगम को निदेश दे सकेगी और निगम ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

शिमला-2, 28 अप्रैल, 1987

सं0 डी0 एल0 आर0-4/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश इन्स्ट्रूमैंट (कन्ट्रोल आफ नाइजिज्) ऐक्ट 1969 (1969 का 28)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969

(1969 का 28)

(6 फरवरी, 1970)

लाउडस्पीकर, माईक्रोफोन, एम्पलीफायर इत्यादि उपकरणों के उपयोग और बजाने को नियन्त्रित करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर होगा।

(3) यह ऐसे क्षेत्रों में, और ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में निर्दिष्ट करें।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हों, —

1898 का 5

(क) "जिला मैजिस्ट्रेट" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 10 के अधीन नियुक्त जिला मैजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ;

(ख) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "उपकरण" से लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर और ध्वनि करने के ऐसे अन्य यंत्र अभिप्रेत हैं जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपकरण घोषित किए जाएं ;

(घ) "अधिसूचना" से उचित प्राधिकार के अधीन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

(ङ) "राजपत्र" से राजपत्र हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

उपकरणों के प्रयोग पर निर्बंधन।

3. कोई भी व्यक्ति, जिला मैजिस्ट्रेट या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा और ऐसी शर्तों के अधीन के सिवाए, जो इसमें लगाई जाएं, किसी परिसर में या पर, किसी उपकरण का ऐसे स्वर या ध्वनि में नहीं प्रयोग करेगा या बजाएगा, जो उसके अहाते से बाहर श्रव्य हो।

उपकरणों के प्रयोग पर सीमा ।

4. कोई भी व्यक्ति, जिला मैजिस्ट्रेट या उस द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा और ऐसी शर्तों के अधीन के सिवाय, जो इसमें लगाई जाएं, किसी उपकरण को रात को दस बजे और प्रातः छः बजे के बीच नहीं प्रयोग करेगा अथवा चलाएगा।

फीस ।

5. धारा 3 या धारा 4 के अधीन तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जब तक अनुज्ञा के लिए आवेदन में पांच रुपये की दर से संगणित मूल्य की प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा मांगी गई है, न्यायालय फीस स्टाम्प न लगी हो :

परन्तु जहां अनुज्ञा नामंजूर की जाती है या उस अवधि के लिए दी जाती है जो उससे न्यून है जिसके लिए आवेदन किया गया है, वहां फीस की राशि का, यथास्थिति, पूर्णतः या अनुपाततः प्रतिदाय किया जाएगा ।

शास्ति ।

6. जो कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से एक प्रकार के कारावास जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों के, दण्ड के लिए दायी होगा।

संज्ञेय अपराध ।

7. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध दण्डनीय संज्ञेय होगा। 1898 का 5

निरसन और व्यावृत्तियां

8. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त दि पंजाब इन्स्ट्रूमैन्ट्स (कंट्रोल आफ नाइजिज) ऐक्ट, 1956 का, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है : 1966 का 31 1956 का 36

परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई जारी की गई किसी अधिसूचना, मंजूर की गई अनुज्ञा या प्रारम्भ या जारी रखी गई कार्रवाईयों सहित इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अधिसूचनाएं और नियम

गृह विभाग

शिमला-171002, 4 मई, 1970

सं 01-15/68-गृह—हिमाचल प्रदेश के प्रशासक, हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, अधिसूचित करते हैं कि यह अधिनियम सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में 4 मई, 1970 से प्रवृत्त होगा ।

प्रशासक की पदावधि इत्यादि।

32. प्रशासक की पदावधि, जो पूर्णकालिक कृत्याकारी होगा, पांच वर्ष होगी। वह ऐसा वेतन प्राप्त करेगा और ऐसी सुख-सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं :

परन्तु यदि प्रशासक सिविल सेवा का सदस्य हो या सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर धारणाधिकार रखता हो तो वह राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा द्वारा अत्यावश्यकता की दशा में बुलाए जाने के दायित्वाधीन होगा जिसकी राज्य सरकार एकमात्र निर्णायक होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

33. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों और आशयों और विशेषतः उन विषयों के लिए जो विहित किए जा सकें यह किए जाने हों, को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए, नियम, बनाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

संक्रमण-कालीन उपबन्ध।

34. जब तक निगम का गठन नहीं किया जाता, निगम की सभी शक्तियों और कर्त्तव्यों का, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयोग और पालन किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार उस निमित्त नियुक्त करे।

कठिनाईयों का निराकरण।

35. यदि संक्रमणकाल, अर्थात्, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिन से तब तक जब तक कि निगम का सम्यक् रूप से गठन नहीं किया जाता ; की अवधि के सम्बन्ध में या इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में, कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो सरकार आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत कोई बात, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन लिए इस आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी।

राज्य सरकार की विवरणियों की अपेक्षा करने की शक्ति।

66. राज्य सरकार प्रशासक से,—

(क) कोई विवरणी, विवरण, आकलन, आंकड़े या किसी नगरपालिका, प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन किसी मामले के सम्बन्ध में अन्य सूचना,

(ख) ऐसे किसी मामले पर कोई रिपोर्ट, या

(ग) उसके प्रभार या उसके नियंत्रण में किसी दस्तावेज और किसी अभिलेख की प्रति,

पेश करने की अपेक्षा कर सकेगी।

राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति

37. राज्य सरकार, जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझे, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से संगत, निगम को निदेश दे सकेगी और निगम ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

शिमला-2, 28 अप्रैल, 1987

सं० डी० एल० आर०-4/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश इन्स्ट्रूमैंट (कन्ट्रोल आफ नाइजिज्) ऐक्ट 1969 (1969 का 28)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969

(1969 का 28)

(6 फरवरी, 1970)

लाउडस्पीकर, माईक्रोफोन, एम्पलीफायर इत्यादि उपकरणों के उपयोग और बजाने को नियन्त्रित करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर होगा।

(3) यह ऐसे क्षेत्रों में, और ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में निर्दिष्ट करें।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, —

1898 का 5

(क) "जिला मैजिस्ट्रेट" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 10 के अधीन नियुक्त जिला मैजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ;

(ख) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "उपकरण" से लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर और ध्वनि करने के ऐसे अन्य यंत्र अभिप्रेत हैं जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपकरण घोषित किए जाएं ;

(घ) "अधिसूचना" से उचित प्राधिकार के अधीन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

(ङ) "राजपत्र" से राजपत्र हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

उपकरणों के प्रयोग पर निर्बंधन।

3. कोई भी व्यक्ति, जिला मैजिस्ट्रेट या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा और ऐसी शर्तों के अधीन के सिवाए, जो इसमें लगाई जाएं, किसी परिसर में या पर, किसी उपकरण का ऐसे स्वर या ध्वनि में नहीं प्रयोग करेगा या बजाएगा, जो उसके अहाते से बाहर श्रव्य हो।

उपकरणों के प्रयोग पर सीमा ।

4. कोई भी व्यक्ति, जिला मैजिस्ट्रेट या उस द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा और ऐसी शर्तों के अधीन के सिवाय, जो इसमें लगाई जाएं, किसी उपकरण को रात को दस बजे और प्रातः छः बजे के बीच नहीं प्रयोग करेगा अथवा चलाएगा।

फीस ।

5. धारा 3 या धारा 4 के अधीन तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जब तक अनुज्ञा के लिए आवेदन में पांच रुपये की दर से संगणित मूल्य की प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा मांगी गई है, न्यायालय फीस स्टाम्प न लगी हो :

परन्तु जहां अनुज्ञा नामंजूर की जाती है या उस अवधि के लिए दी जाती है जो उससे न्यून है जिसके लिए आवेदन किया गया है, वहां फीस की राशि का, यथास्थिति, पूर्णतः या अनुपाततः प्रतिदाय किया जाएगा ।

शास्ति ।

6. जो कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से एक प्रकार के कारावास जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों के, दण्ड के लिए दायी होगा।

संज्ञेय अपराध ।

7. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध दण्डनीय संज्ञेय होगा। 1898 का 5

निरसन और व्यावृत्तियां

8. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त दि पंजाब इन्स्ट्रूमैन्ट्स (कंट्रोल आफ नाइजिज) ऐक्ट, 1956 का, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है : 1966 का 31 1956 का 36

परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई जारी की गई किसी अधिसूचना, मंजूर की गई अनुज्ञा या प्रारम्भ या जारी रखी गई कार्रवाईयों सहित इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अधिसूचनाएं और नियम

गृह विभाग

शिमला-171002, 4 मई, 1970

सं 01-15/68-गृह—हिमाचल प्रदेश के प्रशासक, हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, अधिसूचित करते हैं कि यह अधिनियम सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में 4 मई, 1970 से प्रवृत्त होगा ।

शिमला-2 , 11 फरवरी, 1973

सं01-15/68-गृह.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना, तारीख 4 मई, 1970 के आंशिक उपान्तरण में आदेश देते हैं कि आगे आदेश होने तक अधिनियम, शिमला निगम के नगरपालिका क्षेत्र सहित, केवल हिमाचल प्रदेश के सभी नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्रों में लागू रहेगा।

अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपकरणों की घोषणा करना

शिमला-171002, 30 अक्तूबर, 1968

सं01-3/68-गृह.—हिमाचल प्रदेश के प्रशासक, (उप-राज्यपाल) पंजाब इन्स्ट्रूमैन्ट (कन्ट्रोल) आफ नाईजिज ऐक्ट, 1956 (1956 का 36) पंजाब ऐक्ट सं0 की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये "कुकु" (चावल, तेल, आटा मिल इत्यादि में आवाज के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त भोंपू की तरह के या अन्य उपकरण या यंत्र) को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "उपकरण" घोषित करते हैं।

शिमला-171002, 25 मार्च, 1972

सं01-15/68-गृह.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 की धारा 2 क खण्ड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेडियो, ग्रामोफोन, टेपरिकाडर, और संगीतात्मक बैंड को इस अधिनियम के अधीन उपकरण के रूप में घोषित करते हैं।

शिमला-2, 28 अप्रैल, 1987

सं0 डी0 एल0 आर0.—6/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करे हुए "दि हिमाचल प्रदेश फिशरीज ऐक्ट, 1976 (1976 का 16)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा

और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1976

(1976 का 16)

(25-3-87 को यथा विद्यामान)

हिमाचल प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र से सम्बद्ध कतिपय विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1976 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3 यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हों,--

(क) "मत्स्य" के अन्तर्गत शंख मछली और जलीय मत्स्य संयन्त्र सहित, जीवन के समस्त प्रक्रमों में मछली है,

(ख) "मत्स्य जल यान" से मछली पकड़ने या मछली के परिवहन के लिए प्रयुक्त कोई नौका, चाहे हस्तचालित या शक्ति चालित अभिप्रेत हैं,

(ग) "मत्स्य उपस्कर" से मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त कोई जाल, डोरी, बंसी मत्स्य कांटा और अन्य सयंन्त्र अभिप्रेत हैं,

(घ) "मत्स्य अपराध" से इस अधिनियम या तद्धीन या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध अभिप्रेत है,

(ङ) "मत्स्य अधिकारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों का कार्यान्वित करने या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गए किसी नियम के अधीन अपेक्षित किसी कार्य को करने के लिए, समय-समय पर नाम से, या किसी पद के धारक के रूप में, नियुक्त करें :

परन्तु किसी उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी को इस प्रकार सशक्त नहीं किया जाएगा।

(च) "स्थिर इंजन" से मत्स्य पकड़ने के लिए भूमि में स्थिर या किसी अन्य प्रकार से निश्चिल किया हुआ जाल, पिंजरा, कांटा या अन्य यंत्र अभिप्रेत है,

(छ) "निजी जल क्षेत्र" से ऐसा जल क्षेत्र अभिप्रेत है, जो अनन्यत किसी व्यक्ति की सम्पत्ति है या जिसमें किसी व्यक्ति का चाहे स्वामी के रूप में, पट्टेदार के रूप में या किसी अन्य हैसियत में तत्समय मत्स्य की का अभ्यनत: अधिकार और इसके अन्तर्गत स्वामी के व्यय पर खरीदे गए हौज, तालाब, कृत्रिम झीलें आदि हैं जिनका वर्षा ऋतु में नदियां, नालों, नहरों और झीलों जैसे प्राकृतिक जल क्षेत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है

स्पष्टीकरण.—इस परिधि के अर्थ में, केवल इस कारण कि अन्य व्यक्तियों का उस जल क्षेत्र में मत्स्य की का रूढ़ि के आधार पर अधिकार है, निजी जल क्षेत्र नहीं रहेगा,

(ज) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है,

(झ) "धार्मिक जल क्षेत्र" से धार्मिक निकाय या संस्थान का जल क्षेत्र, जहां धार्मिक आधार पर किसी निर्बन्धन केकारण पहले कभी भी मछली न पकड़ी गई हो, अभिप्रेत है,

(ञ) "धार्मिक निकाय" से न्यासी या कोई ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी धार्मिक संस्था के प्रभारी है या जिनमें तत्समय धार्मिक संस्था का स्वामित्व निहित हैं, और

(ट) "धार्मिक संस्था" से अभिप्रेत है कोई मन्दिर, मस्जिद या कोई गिरजाघर, किसी देवा या देवी को समर्पित कोई अन्य तीर्थ मन्दिर और ऐसी अन्य संस्थएं जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे निमित्त घोषित करें।

विशिष्ट जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने को प्रतिषिद्ध करने और अनुज्ञापन देने के लिए नियम बनाने की शक्ति।

3. (1) राज्य सरकार, इसमें इसके पश्चात् इस धारा में वर्णित प्रयोजनोंके लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों में ऐसे जल क्षेत्रों की, जो निजी जल क्षेत्र नहीं हैं, घोषणा करेगी, जिन्हें सभी या उनमें से कोई लागू होंगे।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी सभी या किन्हीं नियमों को, किन्हीं निजी जल क्षेत्रों को, उसके स्वामी और उसमें तत्समय मत्सय का अनन्यधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों की लिखित सहमति से, या यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि सहमति के बिना युक्तियुक्त रूप से रोकी गई है, तो बिना ऐसी सहमति से, लागू कर सकेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई नियम किन्हीं धार्मिक जलाश्यों को लागू नहीं होगा।

(3) ऐसे नियम :

(क) निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों को प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेंगे—

(i) स्थिर इंजन लगाना और उनका उपयोग,

(ii) अस्थायी, या स्थानीय वीयर, बांध और बंध का निर्माण और प्राकृतिक जल प्रवाह को परिवर्तित करके मछली मारना,

(iii) प्रयुक्त किए जाने वाले मत्स्य उपस्कर के आयाम और किस्में और उनके उपयोग की रीति,

(ख) अनुज्ञप्ति के अधीन के सिवाय, मछली पकड़ना, प्रतिषिद्ध करना और ऐसी अनुज्ञप्तियों की मंजूरी लिए देय फीस और उनमें अन्तः स्थापित की जाने वाली शर्तों को विनियमित करना,

(ग) बन्दूक, भाले, धनुष और तीर या उसी प्रकार के उपकरणों या व्यवसायिक बहि-स्राव जल प्रदूषण द्वारा मत्स्य के विनाश या नाश करने के प्रयत्न को प्रतिषिद्ध करना,

(घ) ऋतुएं विहित करना, जिनमें किसी विहित जाति की किसी मछली को मारना या पकड़ना या विक्रय प्रतिषिद्ध होगी,

(ड़) न्यूनतम आकार या भार विहित करना, जिससे नीचे या विहित जाति की कोई मछली पकड़ी, मारी या बेची नहीं जाएगी,

(च) किसी विनिर्दिष्ट जलक्षेत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मछलियों का पकड़ा जाना प्रतिषिद्ध करना,

(छ) किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों से बाहर मछली निर्यात और मूल जिस पर सभी या किसी विनिर्दिष्ट जाति की मछली किसी विनिर्दिष्ट मण्डी में लाई या बेची जा सकेगी, विनियमित करना,

(ज) किसी तालाब या झील के स्वामी, सकब्जा बन्धकदार या पट्टेदार से समस्त्य के किसी वर्ग या वर्गों से ऐसे तालाब या झील को भरने की अपेक्षा करना,

(झ) मछुओं के उत्थान और मत्स्यपालन उद्योग के विकास के लिए संघ और सोसायटियां बनाने और निधियों के संग्रहण को विहित करना,

(ञ) मत्स्य विपणन और क्रय को भी और परिरक्षण या किसी मत्स्य उत्पाद के विनिमणि के लिए मत्स्य प्रयोग को, विनियमित करना,

(ट) मत्स्य जलयान और उपकरण के कब्जे को ऐसी विनिर्दिष्ट सीमा के अन्दर जो आवश्यक प्रतीत हो, विनियमित करना,

(ठ) सम्पूर्ण मत्स्य या मत्स्य की कतिपय जातियों या मत्स्य-उत्पादन के परिवहन को, निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर, जैसी आवश्यक प्रतीत हो, विनियमित करना। ऐसे नियम, अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेंगे:--

(क) मार्ग विहित करना जिनसे केवल मत्स्य या मत्स्य उत्पाद का हिमाचल प्रदेश राज्य में आयात और से निर्यात किया जा सकेगा ;

(ख) विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर मत्स्य अधिकारी या उसे जारी करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति से पास के बिना या प्रत्येक पास की शर्तों से भिन्न रूप में, मत्स्य के आयात, निर्यात और परिवहन;

(ग) ऐसे पास का प्रपत्र विहित करना और उनके जारी किए जाने, पेश किए जाने और वापस किए जाने के लिए उपबन्ध करना ;

(घ) विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर, अभिवहन में मत्स्य परीक्षण के लिए व्यवस्था करना।

(4) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाते समय, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगी--

(क) नियमों के उल्लंघन में मछली पकड़ने के लिए निर्मित या प्रयुक्त किसी संयन्त्र का अभिग्रहण हटाया जाना और समपहरण :

(ख) ऐसे किसी संयत्र द्वारा पकड़ी गई किन्हीं मछलियों का समपहरण; और

(ग) नियमों के उल्लंघन में धारित या परिवहन की गई मत्स्य की किसी मत्स्य के परेषण का अधिहरण।

(5) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति नियमों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने की शर्त के अधीन होगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जायेगा । वह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावशाली या निष्प्रभाव हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उससे अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मत्स्य विक्रय प्रतिषिद्ध करने की शक्ति ।

4. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो उस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाए, इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में मारी गई किन्हीं मछलियों के विक्रय या वस्तु विनियम के लिए प्रस्तुत किए जाने या रखे जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

शास्तियां

5. धारा 3 के अधीन बनाए गए किसी नियम का या धारा 4 के अधीन अधिसूचित किसी प्रतिशोध का भंग—

(1) प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और

(2) प्रत्येक पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

विस्फोटक द्वारा मत्स्य-नाश के लिए दण्ड ।

6. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी जल क्षेत्र में ऐसी मत्स्य पकड़ने या नष्ट करने के आशय से जो वहां हो, कोई अभिस्फोट या अन्य विस्फोटक पदार्थ प्रयोग करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है पुनः उसके अधीन दोष सिद्ध ठहराया जाता है, प्रत्येक पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर, कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय होगा । 1974 का 2

जलक्षेत्र को विषाक्त करके मत्स्य नाश के लिए दण्ड ।

7. यदि कोई व्यक्ति, किसी जल क्षेत्र में, मछलियां पकड़ने या उनका नाश करने के आशय से कोई विष, चुना या हानिकर पदार्थ डालता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनो से दण्डनीय होगा ।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए बिना वारण्ट गिरफ्तारी ।

8. (1) कोई मत्स्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य व्यक्ति वारण्ट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसकी राय में, मछलियां पकड़ने का अपराध कर रहा हो या करने का प्रयत्न कर रहा हो,—

(क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात न हो, और

(ख) यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बतलाने से इन्कार करता हो, या यदि नाम और पता बताए जाने की दशा में उसके सही होने में संदेह करने का कारण हो।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को, तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा, जब तक उसके नाम और पते सही होना निश्चित नहीं कर लिया जाता :

परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट द्वारा उसे निरुद्ध रखने के आदेश के सिवाय, उस समय से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं रखा जायेगा जितना उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए आवश्यक हो।

(3) प्रत्येक मत्स्य अधिकारी को मछलियां पकड़ने से सम्बद्ध अपराध में तलाशी लेने और जांच करने की शक्तियां होंगी जैसी कि उप-निरीक्षक की पंक्ति के पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन है।

1974 का 2

अपराधों का संज्ञान।

9. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का, सिवाय मत्स्य अधिकारी के या पुलिस अधिकारी के जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो या इस निमित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के परिवाद का संज्ञान नहीं करेगा।

कतिपय अपराधों को शमन करने की शक्ति।

10. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मत्स्य अधिकारी को नाम से या पद के आधार पर निम्नलिखित बातों के लिए सशक्त कर सकेगी,—

(क) किसी व्यक्ति से, जिसके सम्बन्ध में ऐसा साक्ष्य विद्यमान है, जो अखण्डित रहे, यह साबित हो जायेगा कि उसने अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में यथावर्णित कोई मछलियां पकड़ने का अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिए, जिसके बारे में ऐसा साक्ष्य विद्यमान है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि स्वीकार करने और ऐसे अधिकारी को ऐसी राशि के संदाय पर, ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हो छोड़ दिया जायेगा और उसके विरुद्ध आगे कोई अतिरिक्त कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ;

(ख) अधिहरण के दायित्व के अधीन अभिगृहीत किसी संपत्ति को और संदाय के बिना, या ऐसे अधिकारी द्वारा यथा अनुमानित मूल्य के संदाय पर किसी सम्पत्ति को निर्मुक्त करने और ऐसे मूल्य के संदाय पर ऐसी सम्पत्ति निर्मुक्त कर दी जायेगी और उसके बारे में आगे कोई अतिरिक्त कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन, प्रतिकर के रूप में स्वीकार की गई धनराशि, किसी भी दशा में, उसके प्रथम स्तम्भ में वर्णित विशिष्ट अपराध के लिए अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में, प्रतिकर के रूप में स्वीकृत राशि से, अधिक नहीं होगी।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई हेतु किए लोक सेवक

11. (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त, सभी व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

1860 का 45

(2) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों या विवेकाधिकार के प्रयोग के बारे में या इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक या सम्यक रूप से नियुक्त या प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध, उसके उपबन्धों या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लायी जायेंगी।

निरसन और व्यावृत्तियां।

12. प्रथम नवम्बर, 1986 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत दि पंजाब फिशरीज ऐक्ट, 1914 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है परन्तु,— 1966 का 31 1914 का 4

(I) निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या प्रारम्भ की गई या जारी रखी गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्समय उपबन्धों के अधीन की गई , प्रारम्भ की गई या जारी रखी गई समझी जाएगी,

(II) निरसित अधिनियम के अधीन की गई, जारी की गई या दी गई कोई नियुक्ति विनियम या अधिसूचना जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नही है, इस अधिनियम के अधीन की गई, जारी की गई या दी की समझी जाएगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई, जारी की गई या दी गई नियुक्ति, आदेश, विनियम या अधिसूचना द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दी जाती ।

अनुसूची

(धारा 10 देखें)

धारा 10 के अधीन कतिपय मत्स्य अपराधों के लिए प्रतिकर के रूप में स्वीकार्य अधिकतम राशि

विवरण	प्रतिकर के रूप में स्वीकार्य अधिकतम राशि
1	2
1. अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से छोटे फंदे वाले जाल से मछलियां पकड़ना।	एक सौ रुपये
2. अनुज्ञप्ति के बिना मछलियां पकड़ना	एक सौ रुपये
3. इस अधिनियम के अधीन विहित मानके से कम आकार या वजन की मछली मारना या पकड़ना या विक्रय या मारने, पकड़ने या विक्रय का प्रयास करना।	पचास रुपये
4. बन्द मौसम में प्रतिषिद्ध जाति की कोई मछली मारना या पकड़ना या विक्रय करना या मारने, पकड़ने या विक्रय का प्रयास करना ।	पचास रुपये
5. नियम क अधीन अनुज्ञात से भिन्न किसी उपस्कर या ढंग से मछली पकड़ना या पकड़ने का प्रयास करना।	पचास रुपये

6. नियमों के अधीन अनुज्ञात दो या किन्हीं उपकरणों में से किसी एक समय पर दो से अधिक का प्रयोग ।	पचास रुपये
7. मछली पकड़ते समय अनुज्ञापन धारियों द्वारा अनुज्ञापन न रखने वाले व्यक्तियों अपने जाल से सहायता के लिए नियोजित करना या लगाना ।	पचास रुपये
8. प्रतिषिद्ध जल क्षेत्रों, में मछली पकड़ना या पकड़ ने का प्रयास करना ।	पचास रुपये
9. किसी मछली के जिसका विक्रय इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रतिषिद्ध है, विक्रय या विनिमय के लिए रखना या अभि-दर्शित करना ।	पचास रुपये
10. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में मछली का निर्यात करना या नियत करने का प्रयास करना।	पांच सौ रुपये
11. विनिर्दिष्ट बाजार-मूल्य से अधिक मूल्य पर मछली का विक्रय करना या विक्रय करने का प्रयास करना।	दो सौ रुपये
12. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ट) के उल्लंघन में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने का जलयान और उपकरण रखना ।	दो सौ रुपये
13. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (1) के उल्लंघन में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर मछली या मछली उत्पाद का परिवहन करना या परिवहन करने का प्रयास करना ।	दो सौ रुपये

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अप्रैल 1987

सं0 डी0एल0 आर0-5/87.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश कार्निया ग्राफ्टिंग ऐक्ट, 1964 (1964 का 11)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश कार्निया निरोपण अधिनियम, 1964

(1964 का 11)

(1 जनवरी, 1965)

(को यथा विद्यमान)

चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्तियों के नेत्रों के उपयोग के बारे में उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम** ।

जबकि चिकित्सा प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्तियों के नेत्रों के उपयोग के बारे में उपबन्ध करना समीचीन है, एतद्द्वारा भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्निया निरोपण अधिनियम, 1964 है ।

(2) इस का विस्तार प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों पर है ।

(3) यह ऐसी तारीख को और ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

परिभाषाएं।

2. (4) इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुमोदित संस्था" से चिकित्सा प्रयोजनों के लिए अस्पताल या चिकित्सा या शिक्षण संस्था अभिप्रेत है, जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित हो,

(ख) (X X X X X X)

(ग) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है,

(घ) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से किसी चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय कर रहा और भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के रूप में मान्यता प्राप्त व्यवसायी अभिप्रेत है,

(ङ) "निकट नातेदार" से मृत व्यक्ति के निम्नलिखित नातेदारों में से कोई नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात् पत्नी-पति, माता-पिता, पुत्री-पुत्र, भाई और बहन, और इसके अन्तर्गत कोई अन्य व्यक्ति भी है जो मृतक का—

(क) पारम्परिक या सांपार्श्विक सगोत्रता द्वारा, पारम्परिक नातेदारी में तीन पीढ़ी के भीतर और सांपार्श्विक नातेदारी में छः पीढ़ी क भीतर सम्बन्धी है, या

(ख) विवाह द्वारा, या तो मृतक या इस खण्ड में विशेष रूप से वर्णित किसी नातदार का या उपर्युक्त पीढ़ियों के भीतर किसी अन्य नातेदार का संबंधी है ।

स्पष्टीकरण.—"पारंपरिक और सांपार्श्विक सगोत्रता" पदों के वे ही अर्थ होंवे, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) में उनके हैं।

मृत व्यक्ति के नेत्रों का निकाला जाना।

3. (1) यदि किसी व्यक्ति ने या तो लिखित रूप में किसी भी समय, या अपनी, अन्तिम बीमारी के दौरान दो या अधिक साक्षियों की उपस्थिति में, मौखिक रूप से निवेदन अभिव्यक्त किया है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके नेत्रों का उपयोग चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किया जाए, तो वह व्यक्ति, जिसके विधिपूर्ण कब्जे में उसकी मृत्यु के बाद उसका शव है, जब तक उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि ऐसा निवेदन बाद में वापस ले लिया गया था, उन प्रयोजनों के लिए शव से नेत्रों को निकालना प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह व्यक्ति जिसके विधिपूर्ण कब्जे में मृतक का शव है, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए शव से नेत्र निकालना प्राधिकृत कर सकेगा, जब तक कि उस व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि—

(क) मृतक ने, अपनी मृत्यु होने के बाद अपने नेत्रों के सम्बन्ध में ऐसी कार्रवाई करने के बारे में आक्षेप किया था, और ऐसा आक्षेप वापस नहीं लिया गया, या

(ख) मृतक का कोई निकट नातेदार मृतक के नेत्रों के सम्बन्ध में ऐसे कार्रवाई किए जाने के लिए आक्षेप करता है।

(3) किसी मृत व्यक्ति के बारे में इस धारा के उपबन्धों के अधीन दिया गया कोई प्राधिकार, शव से नेत्र निकालने के लिए और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उनके उपयोग के लिए पर्याप्त आधार होगा, किन्तु इस प्रकार नेत्र, अनुमोदित संस्था में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के सिवाय जिसका शव के वैयक्तिक परीक्षण द्वारा समाधान हो गया हो कि जीवन समाप्त हो गया है, नहीं निकालेगा।

प्राधिकार कब नहीं दिया जाएगा।

4. धारा 3 के अधीन नेत्र निकालने के लिए प्राधिकार नहीं दिया जायेगा यदि ऐसा प्राधिकार देने के लिए सशक्त व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस निमित्त उस समय लागू किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार, शव की मृत्यु समीक्षा की जानी अपेक्षित है।

जब शव अन्य द्वारा किसी व्यक्ति को केवल दाह-संस्कार के लिए सौंपा जाए, तब नेत्र निकालने का प्राधिकार नहीं होगा।

5. धारा 3 के अधीन, मृत व्यक्ति के शव के सम्बन्ध में नेत्र निकाले जाने का कोई भी प्राधिकार उस व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जायेगा, जिसे मृत व्यक्ति का शव अन्य व्यक्ति द्वारा मात्र दफनाने या उसका दाह संस्कार करने के प्रयोजन के लिए सौंपा गया हो।

6. अनुमोदित संस्था में पड़े शव की दशा में, इस अधिनियम के अधीन नेत्र निकालने का कोई प्राधिकार, अनुमोदित संस्था का नियन्त्रण या प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति की ओर से किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा, जो पहले वर्णित व्यक्ति द्वारा उस निमित पदाभिहित किया गया हो। जब शव अनुमोदित संस्था में पड़ा हो तो नेत्र निकालने का प्राधिकार।

7. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों की किसी भी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह मृत व्यक्ति के शव, या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी ऐसी कार्रवाई को विधि विरुद्ध ठहराता है, जो विधिपूर्ण होती यदि यह अधिनियम पारित किया जाता। व्यावृत्ति।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नेत्र निकालने के लिए दिया गया कोई
1860का45 प्राधिकार, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 297 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं समझा जायेगा।

हिमाचल प्रदेश नेत्र कार्निया-निरोपण अधिनियम, 1964 के अधीन अधिसूचनाएं और नियम

अधिनियम प्रारम्भ होने की तारीख

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

शिमला-2, 17 मई, 1965

सं0 2-6/65-चिकित्सा-2.—हिमाचल प्रदेश के प्रशासक (उप-राज्यपाल) हिमाचल प्रदेश कार्निया-निरोपण अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अप्रैल, 1965 के पन्द्रहवें दिन को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिसकी उपर्युक्त अधिनियम, हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त होगा।

शिमला-2, 28 अप्रैल, 1987

सं0 डी0एल0आर0-1/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश बिक्र (कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1969 (1969 का 29)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश ईन्ट (नियन्त्रण) अधिनियम, 1967

(1969 का 29)

(14 दिसम्बर, 1969)

(1 मार्च, 1987 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश राज्य में ईन्टों के विनिर्माण, संग्रहण, वितरण, परिवहन, अर्जन और निपटान और उनसे सम्बन्धित विषयों के विनियमन के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,—

संक्षिप्त नाम, और विस्तार।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ईन्ट (नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "ईन्ट" से भट्ठा में पकाया हुआ मिट्टी का दग्ध और ज्यामितीय आकार का कोई टुकड़ा अभिप्रेत है;

(ख) "व्योहारी" से ईन्टों के क्रय या विक्रय के व्यापार में या अन्यथा कारबार में लगा कोई व्यक्त अभिप्रेत है और उसका प्रतिनिधि या एजेन्ट इसके अन्तर्गत है;

(ग) X X X X X X

(घ) "भट्ठा" से ईन्ट पकाने के लिए प्रयुक्त कोई संरचना अभिप्रेत है;

(ङ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

ईन्टों के नियंत्रण, निर्माण, संग्रहण, वितरण आदि की शक्तियां।

3. यदि सरकार की यह राय हो कि ईन्टों का प्रदाय बनाए रखने या वृद्धि करने या उनके साम्यापूर्ण वितरण और उचित मूल्य पर उपलभ्य को सुनिश्चित बनाने के लिए, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगी:—

(क) ईटों के विनिर्माण, संग्रहण, वितरण, परिवहन, अर्जन या निपटान की अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, द्वारा या अन्यथा विनियमित करने के लिए;

(ख) उपर्युक्त विषयों को विनियमित करने की दृष्टि से कोई सूचना या आंकड़े एकत्रित करने के लिए;

(ग) अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों या अन्य दस्तावेजों को मंजूर या जारी करने के लिए और उसके लिए फीस प्रभारित करने के लिए;

(घ) ईंटों के क्रय और विक्रय मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए;

(ङ) व्यवहारियों या भट्ठा स्वामियों से ईंटों के सम्बन्ध में ऐसे लेखाओं और अभिलेखों को रखने और उनका निरीक्षण के लिए उससे सम्बद्ध ऐसी सूचना देने की अपेक्षा करने के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए;

(च) विशिष्टतः परिसर और वाहनों में प्रवेश और तलाशी और ऐसी तलाशी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ईंटों के, जिनके सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश का उलंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, अभिग्रहण को सम्मिलित करके, किन्हीं आनुषंगिक और अनुपूरक विषयों के लिए ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

4. सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि धारा 3 के अधीन आदेश देने की शक्ति, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा भी प्रयोग की जायेंगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अन्य अधिनियमितियों से असंगत आदेशों का प्रभाव।

5. धारा 3 के अधीन दिया गया कोई आदेश, इस अधिनियम से अन्यथा किसी अधिनियमित में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी अधिनियमति के कारण प्रभावशील लिखत में, उससे असंगत किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, प्रभावी होगा।

तलाशी और अभिग्रहण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 102, 103 के उपबन्धों का लागू होना।

6. तलाशी और अभिग्रहग से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 और 103 के उपबन्ध, यथाशक्य इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में ली गई प्रत्येक तलाशी और ऐसी तलाशी के दौरान किए गए प्रत्येक अभिग्रहण को लागू होंगे। 1898 का 5

शास्तियां।

7. यदि, कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो,--

(क) वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ;

(ख) कोई सम्पति जिसके सम्बन्ध में आदेश का उल्लंघन किया गया है या उसका ऐसा भाग जो न्यायालय उचित समझे, सरकार को सम्प्रहृत हो जायेगा :

परन्तु यदि न्यायालय की यह राय हो कि यथास्थिति, समस्त सम्बन्धित या उसके किसी भाग का समयहरण निदेशित करना आवश्यक नहीं है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसा करने से विरत रह सकेगी ।

प्रयत्न और दुष्प्रेरण ।

8. कोई व्यक्ति जो धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है या उसका प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, तो उस आदेश का उल्लंघन किया गया समझा जायेगा।

मिथ्या कथन।

9. यदि कोई व्यक्ति,--

(1) जब धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश द्वारा कोई कथन करना या कोई सूचना देना अपेक्षित हो, कोई ऐसा कथन करता या कोई ऐसी सूचना देता है जो किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है और जिसे वह जानता है

या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक है कि वह मिथ्या है या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं है ; या

(2) किसी पुस्तक, लेखा, अभिलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेजों में, जो किसी ऐसे आदेश द्वारा उसके द्वारा रखे जाने या प्रस्तुत किए जाने है, यथा उपर्युक्त कोई विवरण देता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध ।

10. (1) यदि धारा 3 के अधीन दिए गए आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय जब उल्लंघन किया गया था, कम्पनी के कारबार के संचालन का भारसाधक और कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था और वह कम्पनी भी, उल्लंघन के दोषी समझा जायेंगे और वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के दायी होंगे और तदनुसार दण्डित किए जायेंगे :

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए पूर्ण सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या कम्पनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकलता से हुआ है या उनकी अपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने और तदनुसार दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या अन्य व्यक्तियों का समूह है ;

(ख) "निदेशक" से फर्म के सम्बन्ध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

1898 का 5

अपराधों का संज्ञान।

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

1898 का 5

अपराधों पर संक्षिप्त विचार करने की शक्ति।

12. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपर्युक्त संहिता की धारा 260 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों पर तत्समय संक्षेप्तः विचारण करने के लिए सशक्त कोई मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेटपीठ अभियोजन द्वारा इस से सम्बन्धित आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर उपर्युक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार, विचारण कर सकेगी।

आदेशों के बारे में उपधारणा।

13. जहां कोई आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया और हस्ताक्षरित आशयित, हो तो न्यायालय यह उपधारण करगा कि ऐसा आदेश उस प्राधिकारी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम,

1872 का 1

1872 के अर्थ के अन्तर्गत किया गया था ।

इस अधिनियम के अधिन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

14. (1) धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण हुई या होने के लिए सम्भाव्य किसी क्षति के लिए, सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

15. (1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 कीउप-धारा (1) द्वारा संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त "दि ईस्ट पंजाब कंट्रोल आफ ब्रिक्स सप्लाइज ऐक्ट, 1949" का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, एतद्द्वारा निरसित और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन किया गया माना जायेगा और जहां तक यह इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो प्रवर्तन में रहेगा और तदनुसार ऐसे आदेश के अधीन की गई कोई नियुक्ति, मंजूर शुदा अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र या जारी किया गया निदेश तब तक प्रवत्त रहेगा जब तक कि इसे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी नियुक्ति, मंजूर शुदा किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र या दिए गए निदेश द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता।

शिमला-2, 28 अप्रैल, 1987

सं0 डी0एल0आर0-2/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि हिमाचल प्रदेश जुबिनाइल, (प्रिवेन्शन आफ स्मोकिन्ग) ऐक्ट, 1952 (1953 का 1)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतत्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निवारण) अधिनियम, 1952

(1953 का 1)

(22 जनवरी, 1953)

(1-3-1987 को यथा विद्यमान)

धूम्रपान से किशोरों के निवारण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान-निवारण) अधिनियम, 1952 है ।

2. इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

3. यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,

(अ) "सार्वजनिक स्थान" से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां तत्समय लोगों को, संदाय करने पर या अन्यथा, पहुंच है और इसके अन्तर्गत रेल स्टेशन, रेल गाड़ी या कोई सार्वजनिक वाहन है ;

(ब) "तम्बाकू" से किसी भी रूप में तम्बाकू अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत तम्बाकू के स्थान पर प्रयोग की जाने के लिए आशायित कोई धूम्रपान मिश्रण है।

बालकों को तम्बाकू बेचने के लिए शास्ति।

3. जो कोई भी, दृश्यमानतः 16 वर्ष से कम आयु के बालक को कोई तम्बाकू बेचेगा, बेचने या देने का प्रयत्न करेगा, किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए पचास रुपए से अनधिक और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में सौ रुपय से अनधिक जुर्माने के लिए दायी होगा ।

सार्वजनिक स्थान पर किशोर से तम्बाकू अभिग्रहण।

4. यदि 16 वर्ष से कम आयु का कोई लड़का या लड़की किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता हुआ/करती हुई पाया जाता है/पाई जाती है, तो किसी भी नम्बरदार, मान्यता प्राप्त स्कूल या सहबद्ध महाविद्यालय के अध्यापक, पंचायत या नगरपालिका (जिला परिषद्) या अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, विधिव्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या मैजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे तम्बाक का अभिग्रहण और इसे नष्ट किया जाना विधिपूर्ण होगा ।

संक्षिप्त विचारण।

5. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, न्याय पंचायत द्वारा और यदि क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाली न्याय पंचायत न हो तो द्वितीय या तृतीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा, विचारणीय होंगे और राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराध या अपराधों पर संक्षिप्त विचारण करने की शक्तियां, किसी अधिकारी या अधिकारियों के वर्ग को, जिनमें ऐसी शक्तियां निहित हैं, प्रदत्त कर सकेगी।

हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निवारण) अधिनियम, 1952

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं और नियम

शिमला-2, 25 फरवरी, 1964

सं0 2-10/63-चिकित्सा.—हिमाचल प्रदेश के उप-राज्यपाल (प्रशासक) हिमाचल प्रदेश मर्जड स्टेट्स एप्लीकेशन आफ लाज ऐक्ट, 1954 (1954 का 14) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देते हैं कि निम्न-लिखित अधिनियम जो 30 जनवरी, 1954 को हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त या लागू थे, विलयित राज्य बिलासपुर (अब जिला बिलासपुर) में तुरन्त प्रवृत्त होंगे :—

(1) हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निवारण) अधिनियम, 1953 (1953 का 1) ;

(2) दि ईस्ट पंजाब ओपियम समोकिंग ऐक्ट, 1948 (1948 का 25)

(रा0 हि0 प्र0 तारीख 14 मई, 1964 पृ0 65)

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।